# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

2024-218 RAAJodhpur2024-93RTA223 Vikramsingh ors Vs Kisanaram etc

1. विक्रमसिंह पुत्र श्री हरचन्दराम
2. दिनेश पुत्र हरचन्दराम
3. गीता पुत्री हरचन्दराम
4. रूकमा पत्नी हरचन्दराम

सभी जातियान् जाट, निवासीगण– श्रीकृष्णनगर, हाल निवासी– लक्ष्मण नगर, तहसील आऊ, तहसील आऊ, जिला फलोदी।

—— अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. किशनाराम पुत्र भैराराम
2. श्रीराम पुत्र भैराराम
3. सतवीरसिंह पुत्र हरचन्दराम

सभी जातियान् जाट, निवासीगण– कृष्ण नगर, हाल निवासी– लक्ष्मण नगर, तहसील आऊ, जिला फलोदी।

4. तहसीलदार आऊ जिला फलोदी।

—— रेस्पोडेण्ट्स

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर आऊ द्वारा दिनांक 24 जून 2024 राजस्व मूल वाद संख्या 237/2023 किसनाराम बनाम सतवीरसिंह इत्यादि**

—— 0 ——

उपस्थित –

श्री किसनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स

श्री लाधूराम पूनिया, श्री भीखाराम, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1

शेष **रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।**

## नि र्ण य

**दिनांक : 02 सितंबर 2024**

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 237/2023 अनवान किसनाराम बनाम सतवीरसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 जून 2024 के खिलाफ आलौच्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 28 जून 2024 को पेश की गयी है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1673/4 रकबा 16.0417 हैक्टेयर ग्राम श्री कृष्णनगर, तहसील आऊ के संबंध में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 जून 2024 के जरिये वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात् अपीलांट्स की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है, जिस पर पूर्व मौखिक बंटवाड़े के अनुसार काबिज काश्त है तथा मौके पर फसल खड़ी है। विचारण न्यायालय में वाद पत्रावली न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट के समक्ष प्रस्तुत की गई जो बाद में क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने से वाद पत्रावली को नवीन सहायक कलक्टर न्यायालय आऊ को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसकी सूचना अपीलांट्स को नहीं दी गई तथा न ही सहायक कलक्टर आऊ द्वारा अपीलांट्स को नोटिस जारी कर सूचित किया गया। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.2024 को नो इंस्ट्रक्शन प्लीड किये जाने के पश्चात अपीलांट्स को सूचित किये बिना ही उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया तथा वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना में दावे में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तनकीयात कायम किये बिना तथा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24 जून 2024 को अपास्त व निरस्त किये जावे

जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद में जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है।

वकील रेस्पोडेंट्स ने दौराने बहस अपीलांट्स पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया तथा आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर कर अपनी सहमति प्रदान की।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक नवीन न्यायालय सहायक कलक्टर आऊ का सृजन होने से वाद पत्रावली को जिला कलक्टर फलोदी के आदेश क्रमांक/संस्थापन/2023/27 दिनांक 06.09.2023 के जरिये सहायक कलक्टर लोहावट से सहायक कलक्टर आऊ को स्थानांतरित किया जाना पाया जाता है। नवसृजित न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आऊ, स्थानांतरित वाद में न ही अपीलांट्स को पुनः सम्मन जारी किये बिना तथा न ही प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा नो इंस्ट्रक्शन प्लीड किये जाने के पश्चात उसे सूचित किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

यह भी उल्लेखनीय है कि अदालत हाजा के समक्ष रेस्पोडेंट्स संख्या एक द्वारा जरिये अधिवक्ता अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की है। इन परिस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं होने से यथावत रखने योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स गुणावगुण एवं सहमति के परिप्रेक्ष्य में आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 237/2023 अनवान किसनाराम बनाम सतवीरसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 जून 2024 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट्स को जवाब प्रस्तुति का अवसर प्रदान कर वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24 सितंबर 2024 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02.09.24

(अजीत सिंह राजावत)
प्रथम लिंक अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर